Form No. III

फर्द–अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत **न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़** मुकाम **चित्तौड़गढ**

अर्जुनदास **बनाम** **शकुन्तला वगैराह**

कार्यवाही अन्तर्गत :– **नियम 14(04) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम 1970**

किस्म मुकदमा **राजस्व प्रार्थना–पत्र** नं0 **014** सन् **2024**

तारीख हुक्म	**हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी हाजिर। अप्रार्थीगण के नोटिस बाद तामील प्राप्त है। अप्रार्थी संख्या 1 हाजिर नहीं। आवाज लगवाई गई। हाजिर नहीं। अप्रार्थी संख्या 1 के बावजूद सूचना के हाजिर नहीं आने से अप्रार्थी संख्या 1 की अनुपस्थिति रिकार्ड की जाती है। अप्रार्थी संख्या 2 की और से राजकीय अधिवक्त हाजिर आये। पूर्व में प्रभारी अधिकारी जिला अभिलेखागार के पत्रांक/अभिलेखागार/2024/39 दिनांक 22.03.2024 से मूल अभिलेख पत्रावली प्राप्त हुई है जो कि पत्रावली के हम किता है। रिकार्ड पर लिया जाता है। पत्रावली के हम किता रहे। न्यायालय हाजा में इसी आवंटन के विरूद्ध अन्य प्रकरण संख्या 002/2024 (रा.प्रा.प.) अनवानी शिवलाल बनाम शकुन्तला वगैराह लम्बित है। अतः हस्तगत प्रकरण पश्चात्वर्ती प्रकरण में कार्यवाही इसी स्तर पर समाप्त किये जाने का आदेश दिया जाता है एवं इस प्रकरण को पूर्व प्रकरण संख्या 002/2024 (रा.प्रा.प.) अन्तर्गत नियम 14(04) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम, 1970 अनवानी शिवलाल बनाम शकुन्तला वगैराह के साथ हम किता किये जाने का आदेश दिया जाता है। तद्नुसार अभिलेखों में अंकन किया जावें। है। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद दीगर प्रकरण संख्या 002/2024 (रा.प्रा.प.) अनवानी शिवलाल बनाम शकुन्तला वगैराह के साथ हम किता रहें। आदेश खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया। –ह0– (आलोक रंजन) जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ 13.08.2024 सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official	